



भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA



टेलिफैक्स
Telefax +91-135-2744064, 2743331

वेबसाइट
Website www.surveyofindia.gov.in

ई-मेल
E-Mail sgo@sancharnet.in



भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय
Office of the Surveyor General of India

हाथीबड़कला एस्टेट, डाक बक्स सं. 37

Hathibarkala Estate, Post Box No. 37

देहरादून - 248 001 (उत्तराखण्ड), भारत

DEHRADUN - 248 001 (UTTARAKHAND), INDIA

सं०सी-1369 /594

दिनांक: 03 मार्च 2022

सेवा में,

स्थापना एवं लेखा अधिकारी(प्रशासन)
महासर्वेक्षक का कार्यालय ।

विषय: सहायक प्रबन्धक (मानचित्र पुनरूत्पादन) के पद पर पदोन्नति ।

संदर्भ: इस कार्यालय का पत्र सं०सी-1242/594 दिनांक 28-02-2022 ।

इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पदोन्नति आदेश के क्रम संख्या (2) में Shri Devendra Mohan Sharma की नई तैनाती में आंशिक संशोधन करते हुए नई तैनाती 'WPG, Dehli Cantt के स्थान पर DMP, Dehra Dun की जाती है ।

2. उपरोक्त पत्र में दर्शायी गई अन्य शर्तें यथावत रहेंगी ।

(डा० यू०एन० मिश्र)
उप महासर्वेक्षक
कृते भारत के महासर्वेक्षक

प्रतिलिपि:

1. अपर महासर्वेक्षक, विशिष्ट क्षेत्र/मुद्रण क्षेत्र को सूचनार्थ प्रेषित ।
2. निदेशक, पश्चिम मुद्रण वर्ग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, दिल्ली कैंट ।
3. निदेशक, मानचित्र प्रकाशन कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. लेखाधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, देहरादून ।
5. कार्यालय अधीक्षक स्था०1/जे०सी०एम० अनुभाग (म०स०का०)
6. गोपनीय सहायक(म०स०का०)/फाईल 972
7. इंचार्ज, वैब एडमिन, (म०स०का०)
8. इंचार्ज, ई-आफिस (म०स०का०)



भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA



फैक्स व दूरभाष: 0091-135-2744064
Fax-cum-Telephone: 0091-135-2744064
Website/वेबसाइट: www.surveyofindia.gov.in
E-Mail/ई-मेल: sgo.conf.soi@gov.in



भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय
OFFICE OF THE SURVEYOR GENERAL OF INDIA
डाक बक्स सं० 37, POST BOX No.37,
देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)-भारत।
DEHRA DUN-248001 (UTTARAKHAND), INDIA

सं०सी-1242 / 594

दिनांक: 28/02/2022

सेवा में,

अपर महासर्वेक्षक: विशिष्ट क्षेत्र/मुद्रण क्षेत्र।

निदेशक: सर्वेक्षण (हवाई) एवं दिल्ली भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/मानचित्र प्रकाशन निदेशालय/उत्तराखण्ड एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/दक्षिणी मुद्रण वग।

स्थापना एवं लेखा अधिकारी(म0स0का0)।

विषय: सहायक प्रबन्धक (मानचित्र पुनरुत्पादन) के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु स्थानान्तरण/तैनाती (डी0पी0सी0-2022)।

निम्नलिखित सीनियर रिप्रोग्राफर को सहायक प्रबन्धक (मानचित्र पुनरुत्पादन) (ग्रुप 'बी') के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 में नियमित आधार पर पदोन्नति पर स्थानान्तरण/तैनाती के आदेश दिये जाते हैं:-

S. N.	Name of Officer	Persent Office	New Place of Posting
1.	Shri Devendra Kumar	S(A)&D GDC, New Delhi	WPG, Delhi Cantt
2.	Shri Devendra Mohan Sharma	IBD (SGO)	WPG, Delhi Cantt
3.	Shri Deepak Kumar Adhikari	DMP, Dehra Dun	DMP, Dehra Dun
4.	Shri Y.K.Aggarwal	DMP, Dehra Dun	DMP, Dehra Dun
5.	Shri Lokesh Garg	DMP, Dehra Dun	DMP, Dehra Dun
6.	Shri Vivek Gupta	DMP, Dehra Dun	DMP, Dehra Dun
7.	Shri Gajindra Kumar(SC)	UK&WUP GDC	DMP, Dehra Dun
8.	Shri Netra Pal(SC)	DMP, Dehra Dun	DMP, Dehra Dun
9.	Shri D.Ramesh(ST)	SPG, Hyderabad	SPG, Hyderabad

2. उपरोक्त पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगी तथा कार्य ग्रहण करने के प्रमाण पत्र फार्म 0.115 (लेखा) की दो प्रतियां इस कार्यालय को भेजने की कृपा करें जिसमें कार्य ग्रहण करने की तारीख के साथ पूर्वाह्न अथवा अपराह्न स्पष्ट रूप से दर्शाया जाये। इन आदेशों को इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर लागू किया जाए।


3. उपरोक्त कर्मचारियों से यह स्पष्ट रूप से लिखित में ले लिया जाये कि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति स्वीकार करते हैं अथवा अस्वीकार करते हैं। पदोन्नति की स्वीकृति या अस्वीकृति जैसा भी मामला हो, इस कार्यालय को दिनांक 28-03-2022 तक अवश्य सूचित करें। यदि इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा पदोन्नति की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति इस कार्यालय में प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि वह पदोन्नति अस्वीकार करते हैं।

4. उपरोक्त कर्मचारियों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यदि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो उन्हें उनकी अस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक पदोन्नति का कोई प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा और उनकी वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10-04-1989 के कार्यालय ज्ञापन सं०22011/5/86-स्था०(डी०) के पैरा 17.12 में निहित शर्तों के अनुसार उन से कनिष्ठ कार्मिक को उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिया जाएगा।

5. उपरोक्त कर्मचारी सहायक प्रबन्धक के पद पर नियमित पदोन्नति की तिथि से दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। इनके विषय में इस अवधि के कार्य तथा कार्य निष्पादन की मूल्यांकन रिपोर्ट इस कार्यालय को अवश्य भेजें।

क्रमशः...2/-

6. अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्मिक के कास्ट स्टेटस (Caste Status) के पुनः सत्यापन के विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा उनके पदोन्नति पर रिपोर्ट करने पर की जाये तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जाय कि पुनः सत्यापन के पश्चात् यदि उक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित नहीं पाये गये तो उन्हें तत्काल उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा ।
7. यदि उपरोक्त में से किसी के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला या दण्ड प्रक्रिया संबंधित कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किए जाएं ।
8. उपरोक्त कर्मचारियों को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नियतन के लिए एफ0 आर0 22(1)(ए)(1) के अधीन अपना विकल्प पदोन्नति की तिथि से एक माह के भीतर देना होगा ।
9. These promotion orders are according to the instructions mentioned under para 4 of DoP&T's OM No. 36012/11/2016-Estt. (Res) dated 30-09-2016 and DST's No. SM/02/10/2017 dated 07-07-2017. The select list of the panel will be subject to the outcome of SPL (C) No.3062/2011(Jarnail Singh & Orhers Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP C) No. 31288/2017 and any other court case in connected matter.
10. पदोन्नत सभी अभ्यर्थियों से संलग्न Undertaking प्राप्त कर लें तथा अधिकारी की सेवा पंजिका में अभिलेख हेतु रखें ।


28/2/22

(डा० यू०एन० मिश्र)

उप महासर्वेक्षक

कृते भारत के महासर्वेक्षक

प्रतिलिपि:

1. निदेशक, पश्चिमी मुद्रण वर्ग, दिल्ली कैंपट ।
2. लेखाधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून ।
3. लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, हैदराबाद/जयपुर ।
4. कार्यालय अधीक्षक: स्थापना.1/कार्य अध्ययन एकक/जे०सी०एम० ।
5. गोपनीय सहायक (म०स०का०) ।
6. इंजार्ज ई-आफिस (म०स०का०) ।
7. इंजार्ज वैब एडमिन(म०स०का०) ।
8. फाईल - 972 ।

UNDERTAKING

I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of *DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.*

Place:

Date:

Signature:

Name:

Address of Office:

COUNTERSIGNED BY ADDL SG/DIRECTOR

वचन पत्र

मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं *DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter* के निर्णय का पालन करूंगा ।

स्थान:


दिनांक:

हस्ताक्षर:

कर्मचारी का नाम:

कार्यालय:

अपर महासर्वेक्षक/निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित



भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

टेलिफैक्स: Telefax: +91-135-2744064, 2743331
वेबसाइट: Website: www.surveyofindia.gov.in
Fax-cum-Telephone: 0091-135-2744064
ई-मेल: E-Mail: sgo.conf.soi@gov.in



भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय
OFFICE OF THE SURVEYOR GENERAL OF INDIA
डाक बक्स सं० 37, POST BOX No.37,
देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)-भारत।
DEHRA DUN-248001 (UTTARAKHAND), INDIA

सं०सी- 921 / 594

दिनांक: 16-02-2022

सेवा में,

अपर महासर्वेक्षक: मुद्रण क्षेत्र ।

निदेशक: पश्चिमी मुद्रण वर्ग ।

विषय: सहायक प्रबन्धक (मानचित्र पुनरूत्पादन) (ग्रुप "बी") के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति देने हेतु स्थानान्तरण/तैनाती (डी०पी०सी०.2021)।

निम्नलिखित सीनियर रिप्रोग्राफर को सहायक प्रबन्धक (मानचित्र पुनरूत्पादन)(ग्रुप "बी") के पद पर वेतन मेट्रिक्स के लेवल 7 में नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु निम्नानुसार स्थानान्तरण/तैनाती के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र० सं०	नाम	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती
1.	Shri Satpal Singh Azad(SC)	WPG	WPG
2.	Shri Manoj Kumar Meena(ST)	WPG	WPG

2. उपरोक्त पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगी तथा कार्य ग्रहण करने के प्रमाण पत्र फार्म ओ.115 (लेखा)(द्विभाषी) की दो प्रतियां इस कार्यालय को भेजने की कृपा करें जिसमें कार्य ग्रहण करने की तारीख के साथ पूर्वाह्न अथवा अपराह्न स्पष्ट रूप से दर्शाया जाये । इन आदेशों को इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर लागू किया जाए। यदि इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर उपरोक्त कर्मचारियों द्वारा पदोन्नति की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति इस कार्यालय में प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि वह पदोन्नति अस्वीकार करते हैं तथा यदि उपरोक्त पदोन्नत कर्मचारी स्थान परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन देने के इच्छुक हों तो उनके प्रत्यावेदन इस पत्र के जारी होने के 10 दिन के भीतर इस कार्यालय में पहुंच जाने चाहिये ।

3. पदोन्नति की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति, जैसा भी मामला हो, सम्बन्धित कर्मचारियों से स्पष्ट तरीके से लिखित रूप में प्राप्त करके इस कार्यालय को दिनांक 21-02-2022 तक अवश्य सूचित करें । उपरोक्त अधिकारियों को यह स्पष्ट कर दिया जाये कि यदि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो उन्हें इस पत्र के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक पदोन्नति का कोई प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा और उनकी वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10-04-1989 के कार्यालय ज्ञापन सं०22011/5/86-स्था०(डी०) के पैरा 17.12 में निहित शर्तों के अनुसार उन से कनिष्ठ कार्मिक को उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिया जाएगा ।

4. अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्मिक के कास्ट स्टेटस (Caste Status) के पुनः सत्यापन के विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा उनके पदोन्नति पर रिपोर्ट करने पर की जाये तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जाय कि पुनः सत्यापन के पश्चात् यदि उक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित नहीं पाये गये तो उन्हें तत्काल उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा ।

5. उपरोक्त कर्मचारी सहायक प्रबन्धक (मानचित्र पुनरूत्पादन) (ग्रुप "बी") के पद पर नियमित पदोन्नति की तिथि से दो वर्ष तक परीक्षा पर रहेंगे । इनके विषय में इस अवधि के कार्य तथा कार्य निष्पादन की मूल्यांकन रिपोर्ट इस कार्यालय को अवश्य भेजें ।

कमशा...2

6. उपरोक्त कर्मचारियों को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नियतन के लिए एफ0आर022(I)(a)(1)के अधीन अपना विकल्प एक माह के भीतर देना होगा ।
7. यदि उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला या दण्ड प्रक्रिया संबंधित कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किए जाएं ।
8. These promotion orders are according to the instructions mentioned under para 4 of DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt. (Res-I) (Pt-II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of Comptent Petition (C) No.30621/2011(Jarnail Singh & Orhers Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.
9. पदोन्नत सभी अभ्यर्थियों से संलग्न Undertaking प्राप्त कर लें तथा अधिकारी की सेवा पंजिका में अभिलेख हेतु रखें ।



(डा0 यू0एन0 मिश्र)

उप महासर्वेक्षक

कृते भारत के महासर्वेक्षक

प्रतिलिपि:-

1. अपर महासर्वेक्षक, तकनीकी, म0स0का0 ।
2. उप महासर्वेक्षक: सतर्कता, म0स0का0/प्रशासन, म0स0का0/एच0आर0, म0स0का0/तकनीकी, म0स0का0/मुद्रण क्षेत्र ।
5. लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जयपुर।
6. कार्यालय अधीक्षक: स्थापना-1/स्थापना-2/कार्य अध्ययन एक्क/जे0सी0एम0 ।
7. गोपनीय सहायक (म0स0का0)।
8. इंजार्ज ई-आफिस (म0स0का0) ।
9. इचार्ज वैब एडमिन(म0स0का0) ।

UNDERTAKING

I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of *DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter.*

Place:

Date:

Signature:

Name:

Address of Office:

COUNTERSIGNED BY ADDL SG/DIRECTOR

वचन पत्र

मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूँ कि मैं *DoP&T's OM No. 36021/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt II) dated 15-06-2018. The select list of the panel will be subject to the outcome of Contempt Petition (C) No. 30621/2011(Jarnail Singh & others Vs Lachhmi Narain Gupta & others) and the SLP (C) No. 31288/2017 and any other court cases related to this matter* के निर्णय का पालन करूंगा ।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर:

कर्मचारी का नाम:

कार्यालय:

अपर महासर्वेक्षक/निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित